balkishan

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2014 निगरानी R-2908-I/14

1— बालकिशन पिता श्री अम्बाराम जी जाति गारी
उम्र वर्ष धन्धा—खेती

2— रामचरण पिता श्री अम्बाराम जी जाति गारी
उम्र वर्ष धन्धा—खेती

3— सतीश पिता श्री अम्बाराम जी जाति गारी
उम्र वर्ष धन्धा—खेती

समस्त निवासीगण कम्पेल तहसील व जिला इन्दौर
हालमुकाम—बालौदालक्खा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

-----आवेदकगण / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— गिरधारीलाल पिता श्री बालाराम जी जाति कुलमी

2— कन्हैयालाल पिता श्री दयारामजी जाति कुलमी

3— ओमप्रकाश पिता श्री कन्हैयालालजी जाति कुलमी

4— ललीत पिता श्री हरिनारायण जी जाति कुलमी

समस्त निवासीगण ग्राम बालौदालक्खा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन --- आवेदकगण

अधिनस्थ न्यायालय माननीय नायब तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ—13/12—13 गिरधारीलाल विरूद्ध बालकिशन के प्रकरण में पारित पारित आदेश दिनांक 31/12/2012 से असंतुष्ट व दुखित होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, अनावेदकगण जो कि ग्राम बालोदालक्खा तहसील बड़नगर के विगत 15 वर्षो से निवासी होकर पूर्व में ग्राम कोद बिड़वाल तहसील बदनावर के निवासी थे, ने 15 वर्ष पुर्व आकर ग्राम बालोदालक्खा व सुंदराबाद तहसील बड़नगर में जमीन क्रय की है। अनावेदकगण को उनकी ग्राम सुंदराबाद स्थित भूमि सर्वे नंबर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2908-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री मनीष राठौर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	